

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17102020-222537
SG-DL-E-17102020-222537असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225]	दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2020/आश्विन 24, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 172
No. 225]	DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2020/ASVINA 24, 1942	[N. C. T. D. No. 172

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-2) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2020

सं. फा. 2/1/88/गृह पुलिस-2/खण्ड-1/4716-4719.—चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक है:

इसलिये, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 के खण्ड (ई) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि दिल्ली पुलिस आयुक्त भी 19/10/2020 to 18/01/2021 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) की शक्तियों का प्रयोग निरोध प्राधिकारी के रूप में कर सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
एल. के. गौतम, उप सचिव (गृह-II)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 16th October, 2020

No. F.2/1/88/HP-II/ Pt.-I/4716-4719.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that it is necessary to do so;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (3) of section 3, read with clause (e) of Section 2 of the National Security Act, 1980, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct that during the period **19/10/2020 to 18/01/2021** the Commissioner of Police, Delhi may also exercise the powers of detaining authority under sub section (2) of the section 3 of the aforesaid Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

L. K. GAUTAM, Dy. Secy.(Home-II)